रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2006/श्रावण 13, 1928

No. 354] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2006/SRAVANA 13, 1928

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 462(अ).–उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्यांक 164/2002 में तारीख 20 अप्रैल, 2006 को यह आदेश पारित किया था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राष्ट्रीय आयोग) के सदस्यों का मानदेय और अन्य भत्ते उक्त आदेश के निबंधनों के अनुसार 1 अप्रैल, 2006 से बढ़ाए जाएंगे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त आदेश के अनुसरण में और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 11 में,–

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(i) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष ऐसे वेतन, भत्तों और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को उपलब्ध हैं ।

(i क) पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किए गए राष्ट्रीय आयोग के अन्य सदस्य 1 अप्रैल, 2006 से निम्नलिखित मानदेय और भत्तों के हकदार होंगे, अर्थात् :–

(क) सदस्यों को मानदेय के रूप में तेईस हजार रुपए प्रतिमास संदत्त किया जाएगा :

परन्तु ऐसे सदस्यों को, जो उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं या जो भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव हैं, तेईस हजार रुपए प्रतिमास का समेकित मानदेय प्राप्त करने या पेंशन घटाकर अंतिम आहरित वेतन के बराबर पारिश्रमिक प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

(ख) ऐसी महिला, जिसने पहले कोई लाभ का पद धारण नहीं किया है, सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर अन्य लाभों के साथ 24050-26000 रुपए प्रतिमास के वेतनमान से वेतन पाने की हकदार होगी ।

(ग) सदस्यों को सरकारी आवास उपलब्ध करवाया जाएगा या वे उसके बदले में आठ हजार रुपए प्रतिमास मकान किराया भत्ता प्राप्त करेंगे ।

(घ) सदस्यों को, यदि चालक सहित कार सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, दस हजार रुपए प्रतिमास सवारी भत्ता संदत्त किया जाएगा और यदि सरकारी गाड़ी उपलब्ध करवाई जाती है तो उन्हें एक सौ पचास लीटर पैट्रोल या उसकी कीमत संदत्त की जाएगी ।

(ङ) सदस्य, एस टी डी और आई एस डी सुविधाओं के साथ अपने आवास पर लगाए गए दूरभाष से एक हजार निःशुल्क काल करने के हकदार होंगे ।

(च) सदस्य एक वर्ष में पंद्रह दिन की आकस्मिक छुट्टी लेने के हकदार होंगे ।"

(ii) उप-नियम (2) में "अध्यक्ष और सदस्यों" शब्दों के स्थान पर "सदस्यों" शब्द रखा जाएगा ।

(iii) उप-नियम (2क) का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 10(2)/2003-सीपीयू]

रिंचेन टैंपो, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 398(अ), तारीख 15 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए :

1. सा.का.नि. 533(अ) तारीख 14-8-1991
2. सा.का.नि. 800(अ) तारीख 30-12-1993
3. सा.का.नि. 522(अ) तारीख 22-6-1994
4. सा.का.नि. 605(अ) तारीख 30-8-1995
5. सा.का.नि. 759(अ) तारीख 21-11-1995
6. सा.का.नि. 95(अ) तारीख 27-2-1997
7. सा.का.नि. 88(अ) तारीख 24-2-1998
8. सा.का.नि. 175(अ) तारीख 5-3-2004
9. सा.का.नि. 50(अ) तारीख 1-2-2005
10. सा.का.नि. 64(अ) तारीख 10-2-2005
11. सा.का.नि. 67(अ) तारीख 11-2-2005, और
12. सा.का.नि. 273(अ) तारीख 5-5-2006

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2006

G.S.R. 462(E).— Whereas, the Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 164/2002 had passed the Order on 20th April, 2006 that the honorarium and other allowances of Members of the National Consumer Disputes Redressal Commission (National Commission) shall be enhanced with effect from the 1st day of April, 2006 in terms of the said Order;

Now, therefore, in pursuance of the said Order and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Consumer Protection (Second Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 11 of the Consumer Protection Rules, 1987,

(i) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(1) The President of the National Commission shall be entitled to salary, allowances and other perquisites as are available to a sitting Judge of the Supreme Court.

(1A) The other members of the National Commission appointed on whole-time basis shall be entitled to the following honorarium and other allowances with effect from the 1st day of April, 2006, namely: —

(a) the members shall be paid twenty-three thousand rupees per month by way of honorarium;

Provided that the members, who are retired Judges of High Courts or retired Secretaries to the Government of India shall have the option to either receive consolidated honorarium of twenty-three thousand rupees per month or receive remuneration of last pay drawn less pension;

(b) a woman who has not held an office of profit earlier, on appointment as a member shall be entitled to a pay in the scale of Rs. 24050-26000 per month along with other benefits;

(c) the members shall be provided with Government accommodation or receive house rent allowance of eight thousand rupees per month in lieu thereof;

(d) the members shall be paid conveyance allowance at the rate of ten thousand rupees per month, if no chauffeur driven government vehicle is provided in which event one hundred fifty litres of petrol shall be supplied or the price therefor shall be paid;

(e) the members shall be entitled to one thousand free calls for the telephone installed at their residence, with STD and ISD facilities; and

(f) the members shall be entitled to fifteen days casual leave in a year."

(ii) in sub-rule (2), for the words "The President and the members", the words, "The members" shall be substituted;

(iii) sub-rule (2A) shall be omitted.

[F. No. 10(2)/2003-CPU]

RINCHEN TEMPO, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 398(E) dated 15-4-1987 and subsequently amended *vide* notification Nos. :

1. G.S.R. 533 (E) dated 14-8-1991
2. G.S.R. 800 (E) dated 30-12-1993
3. G.S.R. 522 (E) dated 22-6-1994
4. G.S.R. 605 (E) dated 30-8-1995
5. G.S.R. 759 (E) dated 21-11-1995
6. G.S.R. 95 (E) dated 27-2-1997
7. G.S.R. 88(E) dated 24-2-1998
8. G.S.R. 175 (E) dated 5-3-2004
9. G.S.R. 50 (E) dated 1-2-2005
10. G.S.R. 64 (E) dated 10-2-2005
11. G.S.R. 67 (E) dated 11-2-2005, and
12. G.S.R. 273 (E) dated 5-5-2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.